## <u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-677 / 14</u> <u>संस्थापित दिनांक-18.11.2014</u> Filling no-235103006532014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। ......अभियोजन विरुद्ध 1— कपूर सिंह पुत्र फूलसिंह उम्र 55 साल जाति यादव निवासी – ग्राम सिंहपुर चाल्दा चंदेरी ......आरोपी

## -: <u>निर्णय</u> :--

## (आज दिनांक 28.07.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 294, 341, 324, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 26.10.2014 को समय शाम करीब 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत पशु अस्पताल के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कुंवरबाई को मां, बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी कुंवरबाई को उस दिशा में जाने से रोककर, जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी कुंवरबाई की धारदार हथियार हसिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं फरियादी कुंवरबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी/आहत एवं अभियुक्त के मध्य दिनांक 28.07.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपी कपूर सिंह को भा.द.वि की धारा 294, 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी / आहत कुंवरबाई ने अपने लड़के धर्मेन्द्र यादव के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 26.10.2014 को गाँव में जमीन के विवाद पर उसे उसके देवर (जेठ) कपूर सिह से दिन में करीब 5 बजे झगडा हो गया था जिसकी रिपोर्ट करने वह थाने पशु अस्पताल के सामने से जा रही थी तभी उसका जेठ कपूर सिह आया और उसे मां बहन की बुरी—बुरी गाली देकर उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि तुने

झगडा करवाया है अब तुझे बताते है और उसका हिसया से मारा जो बांये हाथ के कोंचा में कटकर खून निकल आया, एक हिसया मारा बांये तरफ माथे में चोट होकर खून निकल आया, वह चिल्लाई तभी गाँव का रामिसह यादव और संग्राम सिह यादव जो बस स्टेण्ड पर थे आ गये जिन्होंने उसे बचाया तो कपूर सिह कहने लगा आज तो बच गई अबकी बार मिली तो जान से खत्म कर दूंगा। रामिसह व संग्राम सिह ने फोन करके उसके लडके धर्मेन्द्र को बुलाया तब उसे घटना की बात बताई। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

# 05- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.10.2014 को समय शाम करीब 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत पशु अस्पताल के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कुंवरबाई को धारदार हथियार हिसया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की ?

#### :: सकारण निष्कर्ष ::

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी कुंअरबाई अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी को जानती है जो रिश्ते में उसका जेठ लगता है। घ ाटना करीब 2—3 साल पहले की होकर शाम 5 बजे की है। आरोपी से जमीन के विवाद पर से वाद विवाद हो गया था जिसके संबंध में उसने थाने में रिपोर्ट करने आ रही थी तभी चंदेरी में पशु अस्पताल के सामने उसका जेठ कपूर सिह आया और उससे गाली गलौच करने लगा और उसका रास्ता रोक लिया और उससे बोलने लगा कि उसने झगझा करवाया है अब उसे बताते है। आरोपी की उक्त बात को सुनकर वह डर गई थी और आरोपी से बचने के लिये भागने लगी रास्ते में कीचड होने से और पैर फिसल जाने की बजह से वह गिर गई जिससे नीचे पडे नुकील पत्थरों से उसके बांए हाथ के कोंचा तथा माथे में चोट आ गई थी, जिसके संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का नक्शा उसके सामने बनाया था जो प्र.पी.2 है। पुलिस ने उसकी चोटो का इलाज चंदेरी अस्पताल में कराया था और पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

- 07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि कपूर सिंह ने उसे हिसया मारा जो बांए हाथ के कोंचा में लगा, कटकर खून निकल आया था। इस बात से इंकार किया कि कपूर सिंह ने एक हिसया मारा जो बांए तरफ माथे में लगा, चोट होकर खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि वह चिल्लाई तो गाँव का रामसिंह यादव व संग्राम सिंह यादव आ गये थे जिन्होंने उसे बचाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह असत्य कथन कर रही है।
- 08— अभियोजन साक्षी संग्राम सिंह अ०सा०१ ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी कपूर सिंह को जानता है तथा फरियादिया कुंअरबाई को जानता है जो उसकी चाची है। उक्त साक्षी ने घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना व्यक्त किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी कपूर सिंह द्वारा कुअरबाई की मारपीट कर रहा था। साक्षी संग्राम अ०सा०१ को उसका पुलिस कथन प्र.पी. १ का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसा कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता।
- 09— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी कुंवरबाई द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि आरोपी से बचने के लिये जब वह भागने लगी तो रास्ते में कीचड होने से और पैर फिसल जाने की बजह से वह गिर गई जिससे नीचे पड़े नुकीले पत्थरों से उसके बांए हाथ के कोंचा तथा माथे में चोट आ गई थी, इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अन्य अभियोजन साक्षी संग्राम सिह अ०सा01 ने भी अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया। अतः अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 26.10.2014 को समय शाम करीब 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत पशु अस्पताल के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कुंवरबाई को धारदार हथियार हसिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः आरोपी कपूर सिह के विरुद्ध धारा 324 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का धारदार हिसया मूल्यहीन होने अपील अवधि

पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0